रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072026-274508
CG-DL-E-15072026-274508

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 537] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948
No. 537] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 595(अ).— केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2005 (2025 का 24) की धारा 143 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 133 की उपधारा (2) और (5), धारा 134 धारा 135 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वाणिज्य पोत परिवहन (कलुषित प्रणाली का नियंत्रण) नियम, 2016 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (कलुषित प्रणाली का नियंत्रण) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.-** जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे-

(क) भारतीय जलयान और भारत में पंजीकृत प्रत्येक अन्य जलयान;

(ख) ऐसे जलयान जो भारत का ध्वज फहराने के हकदार नहीं हैं, किन्तु भारत के प्राधिकार के अधीन संचालित होते हैं;

(ग) जलयान जो भारत में या तटीय जल में किसी पत्तन, पोत प्रांगण या अपतटीय टर्मिनल या स्थान में प्रवेश करता है।

3. **परिभाषाएँ. – (1)** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) " अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2005 (2025 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रशासन" से किसी अन्य राज्य का झंडा फहराने के हकदार किसी जलयान के संबंध में उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है, और तट के समीप समुद्र तलएवं उसकी उप-मृदा के अन्वेषण और दोहन में लगे स्थिर या तैरते प्लेटफार्म के संबंध में, जिसके ऊपर तटीय राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण और दोहन के प्रयोजनों के लिए संप्रभु अधिकारों का प्रयोग करता है, प्रशासन से संबंधित तटीय राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ग) "कलुषित प्रणाली" से एक कोटिंग, पेंट, सतह उपचार, सतहया युक्ति अभिप्रेत है जिसका एपयोग किसी जलयान पर अवांछित जीवों के लगाव को नियंत्रित करने या रोकने के लिए किया जाता है;

(घ) "प्रमाणपत्र " से यथास्थिति अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र या भारतीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ङ) "अभिसमय" से पोतों पर हानिकारक कलुषित प्रणाली के नियंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 2001 अभिप्रेत है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है;

(च) "अंतर्राष्ट्रीय जलयात्रा" से भारत में किसी पत्तन या स्थान से भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान तक या वहां सं भारत के बाहर किन्हीं पत्त्नों के बीच की यात्रा अभिप्रेत है;

(छ) "लंबाई" से अधिनियम के अधीन लोड लाइन से संबंधित बनाए गए लागू नियमों में परिभाषित लंबाई अभिप्रेत है;

(ज) "संगठन" से अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन अभिप्रेत है;

(झ) "मान्यता प्राप्त संगठन" गेम से ऐसे संगठन जिसका मूल्यांकन और अनुमोदन महानिदेशक द्वारा उसकी ओर से आज्ञापक अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन उपकरणों और राष्ट्रीय विधान के अधीन प्रत्यायोजित कानूनी प्रमाणीकरण और सेवाओं के निष्पादन के लिए किया गया है और जिसे संशोधित रूप में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन संकल्प एमएससी 349 (92) द्वारा अपनाए गए मान्यता प्राप्त संगठन संहिता का अनुपालन करते हुए पाया गया है,अभिप्रेत है;

(ञ) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

4. कलुषित प्रणाली नियंत्रण .- (1) सूची में बस विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार नियम दो के खंड (क) या (ख) में निर्दिष्ट जलयानों पर हानिकारक कलुषित प्रणाली का उपयोजन, पुन: उपयोजन, संस्थापन या प्रयोग प्रतिषिद्ध है।

(2) अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार, नियम, 2 के खंड (ग) में निर्दिष्ट जलयानों पर भारत में किसी पत्तन, पोत प्रांगण या अपतटीय टर्मिनल में ऐसी प्रणालियों का अनुप्रयोग, पुन: अनुप्रयोग, संस्थापन या उपयोग प्रतिषिद्ध है।

5. सर्वेक्षण और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया- (1) नियम दो के खंड (क) में निर्दिष्ट 400 सकल टन भार और उससे अधिक के सभी जलयान, जो अंतर्राष्ट्रीय जलयात्रा ओं में लगे हैं या तटीय जल में चलते हैं, स्थिर या तरते हुए फ्लेटफार्म, तैरते हुए संग्रह इकाई और तैरते हुए उत्पादन संग्रह और ऑफलोडिंग यूनिट को छोड़कर, नीचे बताए गए सर्वेक्षण के अधीन होंगे, अर्थात्:-

(क) जलयान को सेवा में लाने से पहले, या यथास्थिति अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र या भारतीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र, पहली बार जारी होने से पहले एक आरंभिक सर्वेक्षण; और

(ख) सर्वेक्षण, जब कलुषित प्रणाली को बदल दिया गया हो या प्रतिस्थापित कर दिया गया हो, और ऐसे बदलाव या प्रतिस्थापन को यथास्थिति अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र या भारतीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित किया गया हो,

(2) उप – नियम (1) में संदर्भित सर्वेक्षण इस प्रकार किए जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जलयान की कलुषित प्रणाली इन नियमों तथा अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप है तथा उनका पूर्णत: अनुपालन करती है।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट पोतों का सर्वेक्षण, सर्वेक्षकों द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(4) जब सर्वेक्षक यह तय करता कि जलयान का कलुषित प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र या भारतीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र, या इन नियमों या अभिसमय के नियमों के अनुसार नहीं है, तो सर्वेक्षक तुरंत यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान को नियमों के अनुसार से लाने के लिए सुधार के कदम उठाए जाएं, और सर्वेक्षक ऐसे किसी भी निर्णय के बारे में महानिदेशक को बताएगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट सुधारात्मक कार्रवाई का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो महानिदेशक को तत्काल लिखित रूप में सूचित किया जाएगा और यथास्थिति, अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र या भारतीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा या यदि पहले ही जारी किया जा चुका है, तो संबंधित प्रमाणपत्र महानिदेशक द्वारा आदेश द्वारा वापस ले लिया जाएगा।

(6) उपनियम (4) या (5) में विनिर्दिष्ट स्थिति में, यदि जलयान किसी अन्य राज्य के पत्तन पर है, तो पत्तन राज्य के उपयुक्त प्राधिकारियों को महानिदेशक द्वारा तुरंत लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

(7) महानिदेशक उन जलयानों के लिए उपयुक्त उपाय निर्दिष्ट करेंगे जो उप-नियम (1) के उपबंधों के अधीन नहीं हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन नियमों का अनुपालन किया जाए।

6. अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र या भारतीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र जारी करना या उसका समर्थन करना - (1) महानिदेशक या कोई मान्यता प्राप्त संगठन **नियम 5** के अनुसार सर्वेक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात, यह जारी या पृष्ठांकित करेगा कि वह –

(क) नियम 5 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट जलयानों के लिए भारतीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र, जो 400 सकल टनभार और उससे अधिक के हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय जलयात्रा में लगे हैं; या

(ख) नियम 5 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट जलयानों के लिए भारतीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र, जो 400 सकल टनभार और उससे अधिक के हो, प्रत्येक प्रकार के जलयान के लिए लागू उचित शर्तों के साथ और जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में शामिल नहीं हैं; या

(ग) भारतीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र, भारतीय जलयान को जो भारतीय झंडा फहराने का हकदार है और जिसका वजन 400 सकल टनभार से कम है, प्रत्येक तरह के जलयान के लिए लागू सही शर्तों के साथ और जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में शामिल नहीं है।

(2) प्रमाणपत्र और अभिलेख, यथास्थिति, प्ररूप 1 अथवा प्ररूप 2 में होगा।

(3) इस नियम के अधीन जारी प्रमाणपत्रों पर महानिदेशक द्वारा पृष्ठांकित होगा और महानिदेशक प्रमाणपत्र के लिए पूर्ण जिम्मेदारी लेंगे।

(4) अनुसूची के अधीन नियंत्रित कलुषित प्रणाली वाले जलयानों के लिए, जो ऐसी प्रणाली के लिए नियंत्रण के प्रवृत्त होने की तारीख से पहले लागू किया गया था, महानिदेशक उस नियंत्रण के लागू होने के दो वर्ष के भीतर इस नियम के उपबंधों के अनुसार एक प्रमाण पत्र जारी करेगा।

7. किसी दूसरे प्रशासन के अनुरोध पर महानिदेशक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र जारी करना या उसका पृष्ठांकन करना – (1) किसी प्रशासन के अनुरोध पर, जिस पर अभिसमय लागू होता है, महानिदेशक संबंधित प्रशासन के किसी जलयान का सर्वेक्षण करवा सकता है और संतुष्ट होने पर, जलयान को अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र जारी करेगा या जारी करने के लिए अधिकृत करेगा और जहां सही होगा, अभिसमय के अनुसार जलयान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा या उसके समर्थन को अधिकृत करेगा।

(2) इस नियम के उपनियम (1) का अनुपालन करने पर प्रमाण-पत्र की एक प्रति और सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति यथाशीघ्र संबंधित प्रशासन को प्रेषित की जाएगी।

(3) इस प्रकार जारी किए गए प्रमाणपत्र में यह कथन होगा कि यह संबंधित प्रशासन के अनुरोध पर जारी किया गया है।

(4) जहां सर्वेक्षण किसी भारतीय जलयान के लिए किया जाना है जो किसी प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है, वहां महानिदेशक उस प्रशासन से अभिसमय के नियमों के अनुसार सर्वेक्षण करने और अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं, यदि वह प्रशासन ऐसा करने के लिए अधिकृत है।
(5) ऐसे जलयान को कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा जो ऐसे देश का झंडा फहराने का हकदार है जो अभिसमय का हिस्सा नहीं है।

8. अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र या भारतीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र की वैधता.- (1) नियम 6 के अधीन जारी अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र या भारतीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र, या नियम 7 के अधीन जारी अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र निम्नलिखित मामलों में वैध नहीं रहेगा, अर्थात:

(क) यदि कलुषित प्रणाली को बदला या प्रतिस्थापित किया जाता है और प्रमाणपत्र इन नियमों के अनुसार पृष्ठांकित नहीं किया जाता है; और
(ख) जलयान को दूसरे राज्य के झंडे में अंतरित करने पर।

(2) महानिदेशक द्वारा किसी दूसरे राज्य से अंतरित किए गए जलयान को नया प्रमाणपत्र जारी करना, नए सर्वेक्षण या उस पिछले राज्य द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र पर आधारित हो सकता है जिसका झंडा जलयान पर फहराने का हकदार था।

(3) जहां किसी प्रशासन ने, जिसे कोई भारतीय जलयान अंतरित किया गया है, अंतरण की तारीख से तीन महीने के भीतर अनुरोध किया जाता है, तो महानिदेशक, अतिशीघ्र, उस प्रशासन को अंतरण से पहले जलयान के पास विद्यमान प्रमाणपत्र की एक प्रति और, अगर उपलब्ध हो, तो संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति भेज सकेगा।

9. कलुषित प्रणाली पर घोषणा – (1) नियम 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट 24 मीटर या उससे अधिक लंबाई वाले, लेकिन 400 सकल टनभार से कम जलयान को, जो अंतर्राष्ट्रीय जलयात्राओं में लगे है, जिसमें नियत या फ्लोटिंग फ्लेटफार्म फ्लोटिंग भंडारण इकाई, फ्लोटिंग उत्पादन भंडारण और ऑफ-लोडिंग इकाई सम्मिलित नहीं हैं, स्वामी या स्वामी के प्राधिकृत अभिकर्ता का हस्ताक्षर किया हुआ एक घोषणा पत्र रखना उपेक्षित होगा, और ऐसी घोषणा के साथ सही दस्तावेज (जैसे पेंट की रसीद या संविदाकर्ता का बीजक) या समुचित पृष्ठांकित होना चाहिए।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा प्ररूप 3 में होगी।

10. अपशिष्ट कलुषित पदार्थ के नियंत्रण की प्रक्रिया. - अनुसूची में निर्दिष्ट नियंत्रण वाले कलुषित प्रणाली के उपयोग हटाने से निकलने वाले अपशिष्ट को, पारिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016, और अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू नियमों के अनुसार, मानवीय स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सुरक्षित और पर्यावरण के अनुसार सही रीति से एकत्रित, हैंडल अभिक्रियान्वित और निपटान किया जाएगा।

11. जलयानों का निरीक्षण और उल्लंघनों का पता लगाना.-(1) किसी जलयान, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, का किसी भी भारतीय पत्तन, पोत प्रांगण या अपतटीय टर्मिनल में सर्वेक्षकों द्वारा निरीक्षण यह निर्धारित करने के प्रयोजन से किया जा सकेगा कि जलयान इन नियमों का अनुपालन कर रहा है या नहीं और जब तक यह मानने के लिए स्पष्ट आधार विद्यमान न हों कि जलयान इन नियमों का उल्लंघन कर रहा है, ऐसा कोई भी निरीक्षण निम्न तक सीमित होगा-

(क) यह सत्यापित करना कि, जहाँ आवश्यक हो, बोर्ड पर एक वैध अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र या भारतीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र या कलुषित प्रणाली पर एक घोषणा है; और

(ख) जलयान के कलुषित प्रणाली का एक छोटा सा नमूना, जो आवश्यकता के अनुसार संगठन द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कलुषित प्रणाली की समग्रता, संरचना या प्रचालन पर प्रभाव न डाले।

(2) उप-नियम (1) के खंड (ख) के अधीन ऐसे नमूने के परिणामों को संसाधित करने के लिए अपेक्षित समय को जलयान की आवाजाही और प्रस्थान को रोकने के आधार के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा।

(3) यदि यह विश्वास करने के लिए स्पष्ट आधार हों कि जलयान इन नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो संगठन द्वारा विकसित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा अधिनियम के अधीन पत्तन राष्ट्र नियंत्रण और ध्वज राष्ट्र कार्यान्वयन से संबंधित बनाए गए लागू नियमों के अनुसार उसका विस्तृत निरीक्षण किया जा सकेगा।

12. दंड और प्रवर्तन.- (1) इन नियमों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन या इनकी किसी आवश्यकता का अनुपालन करने में विफलता अधिनियम में निर्दिष्ट दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के उललंघन में किसी भी जलयान का संचालन करता है, और जिसके लिए अधिनियम की धारा 281 की उपधार (2) के अधीन कोई विशिष्ट शास्ति उपबंधित नहीं किया गया है, वहां, पचास हजार रुपए तक के दंड का दायी होगा और यदि उल्लंघन निरंतर जारी रहता है, तो अतिरिक्त शास्ति के साथ जो उल्लंघन जारी रहने वाले पहले दिन के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है का दायी होगा।

(3) इस नियम के अधीन कोई भी शास्ति अधिरोपित करने से स्वामी या मास्टर को अननुपालन को ठीक करने की आवश्यकता से छूट नहीं मिलेगी।

अनुसूची
[नियम 4, 6 और 10 देखें]
कलुषित प्रणाली पर नियंत्रण सारणी

कलुषित प्रणाली	नियंत्रण के उपाय	आवेदन	प्रभावी तारीख
ऑर्गेनोटिन कंपाउंड जो कलुषित प्रणाली में बायोसाइड के तौर पर काम करते हैं	जलयान ऐसे यौगिकों को लागू या दोबारा लागू नहीं करेगा	सभी जलयान	1 जनवरी, 2003
ऑर्गेनोटिन कंपाउंड जो कलुषित प्रणाली बायोसाइड के रूप में काम करते हैं	जलयान, - या तो उनके पतवार या बाहरी भागों या सतहों पर ऐसे यौगिक नहीं होंगे; या (2) एक कोटिंग धारण करनी चाहिए जो अंतर्निहित गैर – अनुपालन विरोधी-कलुषित प्रणालियों से ऐसे यौगिकों के रिसाव के लिए एक अवरोध बनाती है।	सभी जलयान (स्थिर एवं फ्लोटिंग प्लेटप्ररुप, फ्लोटिंग स्टोरेज इकाईयों तथा फ्लोटिंग उत्पादन स्टोरेज एवं ऑफलोडिंग इकाईयों को छोड़कर जिनका निर्माण 1 जनवरी, 2003 के पहले किया गया है और जो 1 जनवरी, 2003 को या उसके बाद ड्राई डॉक में नहीं रखे गए हैं)।	1 जनवरी, 2008
साइब्यूट्राइन सीएएस संख्या 28159-98-0	जलयानों पर लागू नहीं होगा या विरोधी-को पुन: से लगाएं कलुषित प्रणाली में यह पदार्थ शामिल है		1 जनवरी, 2023
साइब्यूट्राइन सीएएस संख्या 28159-98-0	जलयान जिसमें यह पदार्थ होता है बाहरी कोटिंग में उनके पतवार की परत या बाहरी भागों या 1 जनवरी 2023 को सतह पर या तो: (1) या तो विरोधी कलुषित प्रणाली को हटाएं या (2) लेप लगाना जो इस पदार्थ के लिए अवरोध से निक्षालन अंतर्निहित गैर-अनुपालन विरोधी बनाता है।	सभी जहाज़ों को छोड़कर : (1) स्थिर एवं तैरते फ्लेटफार्म, FSUs, और FPSOs जो 1 जनवरी 2023 से पहले बनाए गए हैं और जिनके 1 जनवरी 2023 को या उसके बाद ड्राई-डॉक ने नहीं रहा हो; (2) ऐसे जलयान जो अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं और इसमें शामिल नहीं हैं; और (3) 400 सकल टनभार कम वाले जलयान जो अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में शामिल हैं, यदि तटीय राज्य द्वारा स्वीकृत हैं	1 जनवरी, 2023 के पश्चात विरोधी कलुषित प्रणाली की अनुसूचित नवीनीकरण, लेकिन 60 माह के बाद अंतिम आवेदन के अनुसरण में जलयान को एक साइब्यूट्राइन युक्त एक विरोधी कलुषित प्रणाली

प्ररुप 1

[नियम 6 का उपनियम (2) देखें]

अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र

(मय प्रमाणपत्र कलुषित प्रणाली के रिकॉर्ड द्वारा पूरक होगा)

शासकीय मुहर (राज्य)

सरकार के प्राधिकार के अधीन जलयानों पर हानिकारक कलुषित प्रणाली के नियंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन के अधीन जारी किया गया

....

(राज्य का नाम)

द्वारा..

(प्राधिकृत व्यक्ति या संगठन)

जब कोई प्रमाणपत्र पहले जारी किया जा चुका हो, तो यह प्रमाणपत्र ....तारीख वाले प्रमाणपत्र का स्थान ले लेता है।

पोत का विवरण……………………………………………………………………

पोत का नाम ....

विशिष्ट संख्या या अक्षर..

पत्तन की रजिस्ट्री..

सकल टनभार ....

आईएमओ नंबर...

उपाबद्ध 1 के अधीन नियंत्रित किया गया विरोधी कलुषित प्रणाली शामिल हैं:

	इस पोत के निर्माण के दौरान या उसके पश्चात लगाया नहीं गया है	इस पोत पर पहले भी लगाया गया था, लेकिन हटा दिया गया है	इस पोत पर पहले भी लगाया जा चुका है, लेकिन मुद्रांकक कोट से कवर किया गया है	इस पोत पर पहले भी लगाया जा चुका है, लेकिन यह हल या बाहरी हिस्सों की बाहरी कोटिंग सतह में नहीं है या सतहों पर	इस पोत पर पहले भी लगाया गया था
ऑर्गेनोटिन यौगिक जो		....	....	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

☐

जैवनाशी के रूप में कार्य करते हैं		(अत: सत्यापित करें) .... (दिन/माह/वर्ष) ☐	(अत: सत्यापित करें) .... (दिन/माह/वर्ष) ☐		
साइब्यूट्राइन	☐	.... (अत: सत्यापित करें) .... (दिन/माह/वर्ष) ☐	.... (अत: सत्यापित करें) .... (दिन/माह/वर्ष) ☐	1 जनवरी, 2023 ☐	1 जनवरी पहले इसे हटा देना चाहिए या सीलर कोट से ढक देना चाहिए .... (दिन/माह/वर्ष) ☐

यह प्रमाणित किया जाता है कि : (1) जलयान के सर्वेक्षण अभिसमय के उपाबद्ध के विनियमन 1 के अनुसार किया गया है, और

(2) सर्वेक्षण से पता चलता है कि जलयान पर कलुषित प्रणाली अभिसमय के उपाबद्ध 1 की लागू आवश्यकताओं का अनुपालन करती है।

....पर जारी किया गया

(प्रमाणपत्र जारी करने का स्थान)

....

(जारी करने की तारीख) (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

सर्वेक्षण पूरा होने की तारीख जिस पर यह प्रमाणपत्र जारी किया गया है:

....

कलुषित प्रणाली का रिकॉर्ड

यह रिकॉर्ड स्थायी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र से जुड़ा रहेगा।

पोत का विवरण :

पोत का नाम: ....

विशिष्ट संख्या या अक्षर: ....

आईएमओ संख्या :..

अनुप्रयुक्त कलुषित प्रणाली का ब्यौरा:

प्रयुक्त विरोधी कलुषित प्रणाली(प्रणालियों) का प्रकार:...

....

विरोधी प्रणाली(ओं) के आवेदन की तारीख(तारीखें) ....
....
कंपनी (यों) का नाम और सुविधा(ओं)/स्थान(स्थानों) जहाँ आवेदन किया जाता है
....
....
कलुषित प्रणाली का नाम और रंग
....
....
....
सक्रिय घटक (घटकों) और उनके रासायनिक सार सेवा रजिस्ट्री संख्या (संख्याएं) (सीएएस संख्या (संख्याएं))
....
....
मुद्रांकक कोट के प्रकार, (प्रकारों) यदि लागू हो..
....
....
लगाए गए मुद्रांकक कोट का नाम और रंग, अगर लागू हो ....
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..
मुद्रांकक कोट के आवेदन की तारीख ....
....
यह प्रमाणित किया जाता है कि यह रिकॉर्ड हर तरह से सही है।
....पर जारी किया.......
गया....................(रिकॉर्ड जारी करने का स्थान)
....

(जारी करने की तारीख) (रिकॉर्ड जारी करने वाले अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

अभिलेखों का पृष्ठांकन

यह प्रमाणित किया जाता है कि अभिसमय के उपाबद्ध 4 के विनियमन 1(1)(ख) के अनुसार आवश्यक सर्वेक्षण में पाया गया कि जलयान अभिसमय के अनुपालन में था

अनुप्रयुक्त विरोधी कलुषित प्रणाली का ब्यौरा:
प्रयुक्त विरोधी कलुषित प्रणाली (प्रणालियों) का प्रकार...
....
....
प्रयुक्त विरोधी प्रणाली(प्रणालियों) के आवेदन की तारीख(तारीखें)
....
....
कंपनी (कंपनियों) और सुविधा(सुविधाओं)/स्थान(स्थानों) का नाम जहाँ आवेदन किया जाता है
....
....
कलुषित प्रणाली (प्रणालियों) निर्माता (निर्माताओं) का नाम..

……
……………

कलुषित प्रणाली का नाम और रंग
………………………………………………………………………………………………………
……
……………………
सक्रिय घटक (घटकों) और उनके रासायनिक सार सेवा रजिस्ट्री संख्या (संख्याएं) (सीएएस संख्या (संख्याएं))
……
……
मुद्रांकक कोट के प्रकार, (प्रकारों) यदि लागू हो…………………………………………………
……
…………………
लगाए गए मुद्रांकक कोट का नाम और रंग, अगर लागू हो ………………………………………
……
…………………………..
मुद्रांकक कोट लगाने की तारीख ………………………………………………………………
हस्ताक्षर……………………………………………………………………………………………

(रिकॉर्ड जारी करने वाले प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान…………………………………………………………………………………………………

तारीख…………………………………………………………………………………………………

(प्राधिकार की मुहर या स्टाम्प)

प्ररुप 2

[नियम 6 का उपनियम (2) देखें]

भारतीय विरोधी कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र

(यह प्रमाणपत्र विरोधी कलुषित प्रणाली द्वारा अनुपूरित होगा)

.............द्वारा भारत सरकार के प्राधिकार वाले जलयानों पर वाणिज्य पोत परिवहन (कलुषित प्रणाली का नियंत्रण) नियम, 2026 के अधीन जारी किया गया।

(अधिकृत व्यक्ति या संगठन)

जब कोई प्रमाणपत्र पहले जारी किया जा चुका हो, तो यह प्रमाणपत्र ....तारीख वाले प्रमाणपत्र की स्थान लेता है।

जलयान की विशिष्टियां

जलयान का नाम...

विशिष्ट संख्या अक्षर..

रजिस्ट्री का पत्तन...

सकल टनभार..

आईएमओ संख्या...

इन नियमों की अनुसूची के अधीन नियंत्रित विरोधी कलुषित प्रणाली जिसमें शामिल हैं:

	इस पोत के निर्माण के दौरान या उसके पश्चात लगाया नहीं गया है	इस पोत पर पहले भी लगाया गया था, लेकिन हटा दिया गया है	इस पोत पर पहले भी लगाया जा चुका है, लेकिन मुद्रांकक कोट से कवर किया गया है	इस पोत पर पहले भी लगाया जा चुका है, लेकिन यह पतवार या बाहरी हिस्सों की बाहरी कोटिंग सतह में या सतहों पर नहीं है	इस पोत पर पहले से लागू था
ऑर्गेनोटिन यौगिक जो जैवनाशी के रूप में कार्य करते हैं	☐	.... (अत: सत्यापित करें) .... (दिन/माह/वर्ष) ☐	.... (अत: सत्यापित करें) .... (दिन/माह/वर्ष) ☐	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

साइब्यूट्राइन	☐	.... (अत: सत्यापित करें) .... (दिन/माह/वर्ष) ☐	.... (पर सुविधा का नाम अत: सत्यापित करें) .... (दिन/माह/वर्ष) ☐	1 जनवरी, 2023 ☐	1 जनवरी पहले इसे हटा देना चाहिए या सीलर कोट से ढक देना चाहिए .... (दिन/माह/वर्ष) ☐

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1.जलयान का सर्वेक्षण वाणिज्य पोत (विरोधी कलुषित प्रणाली) नियम, 2026 के नियम 5 के अनुसार किया गया है, और

2. सर्वेक्षण से पता चलता है कि जलयान पर विरोधी कलुषित प्रणाली वाणिज्य पोत परिवहन (विरोधी कलुषित प्रणाली का नियंत्रण) नियम, 2026 की लागू अपेक्षाओं का पालन करता है।

....पर जारी किया गया

(प्रमाणपत्र जारी करने का स्थान)

....

(जारी करने की तारीख) (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

....

[फा. सं. एस.वाई-19014/198/2025-एम.जी(iii)]

मुकेश मंगल,अपर सचिव,

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2026

G.S.R. 595(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (5) of section 133, section 134, sub-section (2) of section 135 read with sub-sections (1) and (2) of section 143 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), and in supersession of the Merchant Shipping (Control of Anti-Fouling System) Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: –

1. **Short title and commencement. −** (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Control of Anti-fouling System) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application. –** Unless otherwise provided, these rules shall apply to-

(a) Indian vessel and every other vessel registered in India;

(b) vessel not entitled to fly the flag of India but which operate under the authority of India;

(c) vessel that enters a port, shipyard or offshore terminal or place in India or within the coastal waters.

3. **Definitions. –** (1) In these rules, unless the context otherwise requires**, -**

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) "administration" with respect to a vessel entitled to fly a flag of another State means the Government of that State and with respect to fixed or floating platforms engaged in exploration and exploitation of the sea-bed and subsoil thereof adjacent to the coast over which the coastal State exercises sovereign rights for the purposes of exploration and exploitation of their natural resources, the administration means the Government of the coastal State concerned;

(c) "anti-fouling system" means a coating, paint, surface treatment, surface, or device that is used on a vessel to control or prevent attachment of unwanted organisms;

(d) "certificate" means an International Anti-Fouling System Certificate or Indian Anti-Fouling System Certificate, as the case may be;

(e) "convention" means the International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001, as amended from time to time;

(f) "International voyage" means a voyage from or to a port or place in India to or from a port or place outside India or between any ports outside India;

(g) "length" means the length as defined in the applicable rules made under the Act dealing with load line;

(h) "Organisation" means the International Maritime Organization;

(i) "Recognised Organisation" means an organisation that has been assessed and approved by the Director-General to perform, on its behalf, delegated statutory certification and services under mandatory International Maritime Organization instruments and national legislation and found to comply with the Recognized Organization Code adopted by International Maritime Organization Resolution MSC. 349(92), as amended;

(j) "Schedule" means the schedule appended to these rules.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

4. **Controls on anti-fouling systems. –** (1) In accordance with the requirements specified in the Schedule, the application, re-application, installation, or use of harmful anti-fouling systems on vessels referred to in clause (a) or (b) of rule 2 is prohibited.

(2) In accordance with the requirements specified in the Schedule, the application, re-application, installation, or use of such systems, whilst in any port, shipyard, or offshore terminal in India, on vessels referred to in clause (c) of rule 2 is prohibited.

5. **Procedure for survey and certification. –** (1) All vessels of 400 gross tonnage and above referred to in clause (a) of rule 2, engaged in international voyages or plying in coastal waters, excluding fixed or floating platforms, Floating Storage Units and Floating Production Storage and Offloading Units, shall be subject to surveys as specified below, namely: -

(a) an initial survey, before the vessel has been put into service, or before the International Anti-Fouling System Certificate or, the Indian Anti-Fouling System Certificate, as the case may be, is issued for the first time; and

(b) a survey, when the anti-fouling systems have been changed or replaced, and such change or replacement has been endorsed on the International Anti-Fouling System Certificate or the Indian Anti-Fouling System Certificate, as the case maybe.

(2) The surveys referred to in sub-rule (1) shall be such as to ensure that anti-fouling system of the vessel is in accordance with and fully complies with the provisions of these rules and of the convention.

(3) The surveys of the vessels referred to in sub-rule (1) shall be carried out by the surveyors in accordance with the applicable rules made under the Act.

(4) When the surveyor determines that the anti-fouling system of the vessel does not confirm either to the particulars of the International Anti-Fouling System Certificate, or the Indian Anti-Fouling System Certificate, or to the provisions of these rules or the Convention, the surveyor shall immediately ensure that corrective action is taken to bring the vessel into compliance, and the surveyor shall notify the Director-General of any such determination.

(5) If the corrective action referred to in sub-rule (4) is not complied with, the Director-General shall be informed in writing by the forthwith and the International Anti-Fouling System Certificate or the Indian Anti-Fouling System Certificate, as the case may be, shall not be issued or if already issued, the respective certificate shall, by order, be withdrawn by the Director-General.

(6) In a situation specified in sub-rule (4) or (5), if the vessel is in the port of another State, the appropriate authorities of the port State shall be informed forthwith in writing by Director-General.

(7) The Director-General shall specify the appropriate measures for vessels that are not subject to the provisions of sub-rule (1) in order to ensure that these rules are complied with.

6. **Issue or endorsement of an International Anti-Fouling System Certificate or Indian Anti-Fouling System Certificate. –** (1) The Director-General or a recognised organisation shall require, after the successful completion of a survey in accordance with rule 5, to issue or endorse –

(a) International Anti-Fouling System Certificate to vessels referred to in sub-rule (1) of rule 5, which is of 400 gross tonnage and above and engaged in an international voyage; or

(b) Indian Anti-Fouling System Certificate to vessels referred to in sub-rule (1) of rule 5, which is of 400 gross tonnage and above, with appropriate conditions as applicable for each type of vessel and not engaged in international voyage; or

(c) Indian Anti-Fouling System Certificate to an Indian vessel entitled to fly Indian flag which is below 400 gross tonnage, with appropriate conditions as applicable for each type of vessel and not engaged in international voyage.

(2) The certificate and record shall be in Form I or in Form II, as the case may be.

(3) The certificates issued under this rule shall be endorsed by the Director-General and the Director-General shall assume full responsibility for the certificate.

(4) For vessels bearing an anti-fouling system controlled under the Schedule that was applied before the date of entry into force of a control for such a system, the Director-General shall issue a certificate in accordance with the provisions of this rule not later than two years after entry into force of that control.

7. **Issue or Endorsement of an International Anti-Fouling System Certificate by Director- General at the request of another administration. –** (1) At the request of an administration to which to the convention applies, the Director- General may cause a vessel of the administration concerned to be surveyed and, if satisfied, shall issue or authorise the issue of International Anti-Fouling System Certificate to the vessel and, where appropriate, endorse or authorise the endorsement of the International Anti-Fouling System Certificate for the vessel in accordance with convention.

(2) Upon complying with sub rule (1) of this rule, a copy of the certificate and a copy of the survey report shall be transmitted as soon as possible to the administration concerned.

(3) The certificate so issued shall contain a statement that it has been issued at the request of the administration concerned.

(4) Where the survey is to be carried out for an Indian vessel which is in the jurisdiction of an administration, the Director-General may request that administration to carry out a survey in accordance with the provisions of the convention and issue an International Anti-fouling certificate, if such administration is authorised to do the same.

(5) No certificate shall be issued to a vessel which is entitled to fly the flag of a State which is not a party to the convention.

8. Validity of an International Anti-Fouling System Certificate or Indian Anti-Fouling System Certificate. – (1) The International Anti-Fouling System Certificate or the Indian Anti-Fouling System Certificate issued under rule 6, or the International Anti-Fouling System Certificate issued under rule 7, shall cease to be valid in the following cases, namely:

(a) if the anti-fouling system is changed or replaced and the certificate is not endorsed in accordance with the provisions of these rules; and

(b) upon transfer of the vessel to the flag of another State.

(2) The issue by Director-General of a new certificate to a vessel transferred from another State may be based on a new survey or on a valid certificate issued by the previous state whose flag the vessel was entitled to fly.

(3) Where a request has been made by the administration to which an Indian vessel was transferred within three months from the date of transfer, the Director-General may, as soon as possible, transmit to that administration a copy of the certificates carried by the vessel prior to the transfer and, if available, a copy of the relevant survey reports.

9. Declaration on anti-fouling system. – (1) A vessel of 24 meters or more in length referred to in clause (a) of rule 2, but less than 400 gross tonnage, engaged in international voyages, excluding fixed or floating platforms, floating storage units, and floating production storage and off-loading units, shall be

required to carry a declaration signed by the owner or owner's authorised agent, and such declaration shall be accompanied by appropriate documentation (such as a paint receipt or a contractor invoice) or contain appropriate endorsement.

(2) The declaration referred in sub-rule (1) shall be in Form III.

10. Procedure for control of waste anti-fouling materials. –The waste from the application or removal of anti-fouling system controlled as specified in the Schedule shall be collected, handled, treated and disposed of in a safe and environmentally sound manner to protect human health and the environment, in accordance with Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, and the applicable rules made under the Act.

11. Inspection of vessels and detection of violations. – (1) A vessel to which these rules applies may, in any Indian port, shipyard, or offshore terminal, be inspected by surveyors for the purpose of determining whether the vessel is in compliance with these rules and unless there exists clear grounds for believing that a vessel is in violation of these rules, any such inspection shall be limited to –

(a) verifying that, where required, there is onboard a valid International Anti-fouling System Certificate or Indian Anti-Fouling System Certificate or a Declaration on Anti-fouling System; and

(b) a brief sampling of the anti-fouling system of the vessel that does not affect the integrity, structure, or operation of the anti-fouling system taking into account guidelines developed by the organisation, as may be required.

(2) The time required to process the results of such sampling under clause (b) of sub-rule (1) shall not be used as a basis for preventing the movement and departure of the vessel.

(3) If there are clear grounds to believe that the vessel is in violation of these rules, a thorough inspection may be carried out taking into account guidelines developed by the organisation and in accordance with the applicable rules made under the Act dealing with Port State Control and Flag State Implementation.

12. Penalties and enforcement. – (1) Any contravention of these rules or failure to comply with any requirement thereof shall be liable to penalties as specified in the Act.

(2) Any person who operates any vessel in contravention of the provisions of these rules, and for which no specific penalty is provided under sub-section (2) of section 281 of the Act, shall be liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees, and if the breach is a continuing one, with further penalty which may extend to five thousand rupees for every day after the first day during which the breach continues.

(3) The imposition of any penalty under this rule shall not absolve the owner or master from the requirement of rectifying the non-compliance.

SCHEDULE
[*See* rules 4,6 and 10]
CONTROL ON ANTI FOULING SYSTEMS
TABLE

Anti-fouling system	**Control measures**	**Application**	**Effective date**
Organotin compounds which act as biocides in anti-fouling systems	vessel shall not apply or re-apply such compounds	All vessels	1st January, 2003.
Organotin compounds which act as biocides in anti-fouling systems	vessels either,- (1) shall not bear such compounds on their hulls or external parts or surfaces; or (2) shall bear a coating that forms a barrier to such compounds leaching from the underlying non-compliant anti-fouling systems	All vessels (except fixed and floating platforms, floating storage units, and floating production storage and offloading units that have been constructed prior to the 1st January, 2003 and that have not been in dry-docked on or after the 1st January, 2003).	1st January 2008
Cybutryne CAS No. 28159-98-0	vessels shall not apply or re-apply anti-fouling systems containing this substance	All vessels	1 January 2023
Cybutryne CAS No. 28159-98-0	vessels bearing an anti-fouling system that contains this substance in the external coating layer of their hulls or external parts or surfaces on 1 January 2023 shall either: (1) remove the anti-fouling system; or (2) apply a coating that forms a barrier to this substance leaching from the underlying non-compliant anti-fouling system	All vessel except: (1) fixed and floating platforms, FSUs, and FPSOs that have been constructed prior to 1 January 2023 and that have not been in dry-dock on or after 1 January 2023; (2) vessels not engaged in International voyages; and (3) vessels of less than 400 gross tonnage engaged in International voyages, if Accepted by the coastal State(s)	At the next scheduled renewal of the anti-fouling system after 1 January 2023, but no later than 60 months following the last application to the vessel of an anti-fouling system containing cybutryne

FORM I
[*See* sub-rule (2) of rule 6]
INTERNATIONAL ANTI-FOULING SYSTEM CERTIFICATE

(This certificate shall be supplemented by a Record of Anti-fouling Systems)
Official Seal (State)

Issued under the International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on vessels under the authority of the Government of

....

(name of the State)

by...

(Person or organization authorized)

When a Certificate has been previously issued, this Certificate replaces the certificate dated......................

Particulars of ship)

Name of ship..

Distinctive number or letters..

Port of registry..

Gross tonnage...

IMO Number…………………………………..

An anti-fouling system controlled under Annex 1 containing:

	Has not been applied during or after construction of this ship	Has been applied on this ship previously, but has been removed by	Has been applied on this ship previously, but has been covered with a sealer coat applied by	Has been applied on this ship previously, but is not in the external coating layer of the hull or external parts or surfaces on	Was applied on this ship prior to
Organotin compounds which act as biocides	□	………….. *(insert name of the facility)* on ……………… *(dd/mm/yyyy)* □	……………….. *(insert name of the facility)* on ……………. *(dd/mm/yyyy)* □	Not applicable	Not applicable
Cybutryne	□	………….. *(insert name of the facility)* on ……………… *(dd/mm/yyyy)* □	……………….. *(insert name of the facility)* on ……………. *(dd/mm/yyyy)* □	1 January 2023 □	1 January 2023, but must be removed or covered with a sealer coat prior to ………………. *(dd/mm/yyyy)* □

THIS IS TO CERTIFY THAT: (1) the vessel has been surveyed in accordance with regulation 1 of Annex 4 to the Convention; and

(2) the survey shows that the anti-fouling system on the vessel complies with the applicable requirements of Annex 1 to the Convention.

Issued at...

(Place of issue of Certificate)

....

(Date of issue) (Signature of authorised official issuing the Certificate)

Date of completion of the survey on which this certificate is issued: ....

RECORD OF ANTI-FOULING SYSTEMS

This Record shall be permanently attached to the International Anti-Fouling System Certificate.

Particulars of ship

Name of ship: ....

Distinctive number or letters: ....

IMO number: ....

Details of anti-fouling system(s) applied

Type(s) of anti-fouling system(s) used...

....

Date(s) of application of anti-fouling system(s)...

Name(s) of company(ies) and facility(ies)/location(s) where applied..

....

Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s)..

Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s)...

....

Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s) (CAS number(s)) ....

....

Type(s) of sealer coat, if applicable...

....

Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable ....

....

Date of application of sealer coat ....

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.

Issued at.. *(Place of issue of Record)*

....

(Date of issue) *(Signature of authorized official issuing the Record)*

Endorsement of the Records

THIS IS TO CERTIFY that a survey required in accordance with regulation 1(1)(b)of Annex 4 to the Convention found that the vessel was in compliance with the Convention

Details of anti-fouling system(s) applied

Type(s) of anti-fouling system(s) used...

....

Date(s) of application of anti-fouling system(s)...

Name(s) of company(ies) and facility(ies) location(s) where applied..

....

Name(s) of anti-fouling system(s) manufacturer(s)..

....

Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s)...

....

Active ingredient (s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s)(CAS number(s).......

....

Type(s) of sealer coat, if applicable..

....

Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable ....

....

Date of application of sealer coat..

Signed: ....

(Signature of authorised official issuing the Record)

Place: ....

Date:..

(Seal or stamp of the authority)

FORM II

[*See* sub-rule (2) of rule 6]

INDIAN ANTI-FOULING SYSTEM CERTIFICATE

(This certificate shall be supplemented by a Record of Anti-fouling Systems)

Issued under Merchant Shipping (Control of Anti Fouling System) Rules, 2026 on vessels under the authority of the Government of India

by

....

(Person or organisation authorised)

When a Certificate has been previously issued, this Certificate replaces the certificate dated......................

Particulars of vessel

Name of vessel...

Distinctive number or letters..

Port of registry...

Gross tonnage..

IMO Number ....

An anti-fouling system controlled under the Schedule to these Rules containing:

	Has not been applied during or after constructio n of this vessel	**Has been applied on this vessel previously, but has been removed by**	**Has been applied on this vessel previously, but has been covered with a sealer coat applied by**	**Has been applied on this vessel previously, but is not in the external coating layer of the hull or external parts or surfaces on**	**Was applied on this vessel prior to**

Organotin compounds which act as biocides	□	………… … *(insert name of the facility)* on ………… … *(dd/mm/yyyy)* □	………………… *(insert name of the facility)* on …………… *(dd/mm/yyyy)* □	Not applicable	Not applicable
Cybutryne	□	………… … *(insert name of the facility)* on ………… … *(dd/mm/yyyy)* □	………………… *(insert name of the facility)* on …………… *(dd/mm/yyyy)* □	1 January 2023 □	1 January 2023, but must be removed or covered with a sealer coat prior to ………………. *(dd/mm/yyyy)* □

"

THIS IS TO CERTIFY THAT:

1. the vessel has been surveyed in accordance with rule 5 of the Merchant Shipping (Control of Anti-Fouling System) Rules, 2026; and

2 the survey shows that the anti-fouling system on the vessel complies with the applicable requirements of Merchant Shipping (Control of Anti-Fouling System) Rules,2026

Issued at...

(Place of issue of Certificate)

....

(Date of issue) (Signature of authorized official issuing the Certificate)

Date of completion of the survey on which this certificate is issued: ....

RECORD OF ANTI-FOULING SYSTEMS

This Record shall be permanently attached to the Indian Anti-Fouling System Certificate.

Particulars of vessel

Name of vessel: ....

Distinctive number or letters: ....

IMO number: ....

Details of anti-fouling system(s) applied

Type(s) of anti-fouling system(s) used...

....

Date(s) of application of anti-fouling system(s)...

Name(s) of company(ies) and facility(ies)/location(s) where applied...

....

Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s)...

Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s)..

....

Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s) (CAS number(s)) ....

....

Type(s) of sealer coat, if applicable..

....

Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable ....

....

Date of application of sealer coat ....

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.

Issued at... *(Place of issue of Record)*

....

(Date of issue) *(Signature of authorised official issuing the Record)*

Endorsement of the Records

THIS IS TO CERTIFY that a survey required in accordance with rule 5 of the Merchant Shipping (Control of Anti-Fouling System) Rules, 2026 found that the vessel was in compliance with these Rules.

Details of anti-fouling system(s) applied

Type(s) of anti-fouling system(s) used..

....

Date(s) of application of anti-fouling system(s)...

Name(s) of company(ies) and facility(ies) location(s) where applied...

....

Name(s) of anti-fouling system(s) manufacturer(s)..

....

Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s)...

....

Active ingredient (s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s)(CAS number(s).......

....

Type(s) of sealer coat, if applicable..

....

Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable ....

....

Date of application of sealer coat...

Signed: ....

(Signature of authorised official issuing the Record)

Place: ....

Date:..

(Seal or stamp of the authority)

FORM III

[*See* sub-rule (2) of rule 9]

MODEL FROM OF DECLARATION ON ANTI-FOULING SYSTEM WHILE ENGAGED IN INTERNATIONAL VOYAGE

DECLARATION ON ANTI-FOULING SYSTEM

Drawn up under the International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Vessels.

Name of ship...

Distinctive number or letters...

Port of registry...

Length...

Gross tonnage..

IMO number (if applicable) ....

I declare that the anti-fouling system used on this vessel complies with Annex 1 of the Convention.

....

(Date) (Signature of owner or owner's authorized agent)

Endorsement of anti-fouling system(s) applied Type(s) of anti-fouling systems(s) used and date(s) of application...

....

....

(Date) (Signature of owner or owner's authorized agent)

Type(s) of anti-fouling system(s) used and date(s) of application...

....

....

(Date) (Signature of owner or owner's authorized agent)

Type(s) of anti-fouling system(s) used and date(s) of application...

....

....

(Date) (Signature of owner or owner's authorized agent)

[F.No. SY-19014/198/2025-MG(iii)]

MUKESH MANGAL, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.07.15 14:07:59 +05'30'